

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

प्रावधानों से बाधित
~~के कारण हैं।~~

कृता प्र. प्र.
अन्तर्गत आदेश न नियम

॥ का स्वीकार किया जाकर

वादी का वाद खारिज

किया जाता है।

है। डिप्टी पंचपाठी

पत्रावली के फल श्रुति

दोहर ५१ नम्बर में कम्प

उपखण्ड अधिकारी

(सहायक)